न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—122/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. धर्मवीर पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश } पि. सोहनलाल जाति जाट सा. धौलीपाल
2. राजेन्द्र कुंमार } तह. व जिला हनुमानगढ
3. विमला पत्नि ओमप्रकाश
4. सन्दीप पुत्र ओमप्रकाश
5. राजवन्ती पत्नि राजेन्द्र कुंमार
6. दया पुत्री राजेन्द्र कुमार
7. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया
9. तहसीलदारा राजस्व हनुमानगढ तह. व जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थिति

1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता—वादीगण
2. श्री कैलाश सिंवल अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
3. राज—पैरोकार— प्रतिवादी संख्या 8 व 9

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 6 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक सोहनलाल पुत्र मलूराम के वारिसान है। चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 4/4 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज. स. 2068—71 में प्रति स. 1 व 2 के नाम कुल 6.578 है0 आराजी ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज है। एवं चक 18 एम.एम.के. खाता स. 9/5 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2073—76 में कुल 5.060 है0 आराजी ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज है। एवं चक 18 एम.एम.के. खाता स. 55/5 में इन्तकाल स. 606 दिनांक 18/5/18 खाता ओमप्रकाश वगैरा में कुल 1.265 है0 आराजी प्रति स. 1 व 2 के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज है। उक्त खाता में इन्तकाल स. 606 दिनांक 18/5/18 का नोंट जमाबन्दी में अंकित है।उक्त चको के उक्त खातों की जमाबन्दीयां संलग्न वादपत्र है।

दावा की दफा 3 में वर्णीत आराजी का वादीगण व प्रति स. 1—2 व प्रति स. 4 ने अपनी काश्त की सुविधानुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसके अनुसार वादी स.1 व प्रति स. 4 के हिस्सा में चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 4/4 खाता ओमप्रकाश वगैरा की ज.स. 2068—71 की कुल 6.578 है0 आराजी में से 2.277 है0 आराजी वादी स. 1 धर्मवीर के हिस्सा मे व 2.277है0 आराजी प्रति स. 4 सन्दीप के हिस्सा में व 1.316 है0 आराजी प्रति स. 1 ओम प्रकाश के हिस्सा में व 0.708है0 आराजी प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार के हिस्सा में आई है व इसी प्रकार चक 18 एम.एम. के.खाता स. 9/5 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2073—76 की कुल 5.060 है0 आराजी में से 3. 795 है0 आराजी वादी स. 2 मुकेश व 0.506 है0 आराजी प्रति स. 1 ओमप्रकाश व 0.759 है0 आराजी प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार के हिस्सा में आई है।व चक 18 एम एम.के. खाता स. 55/5

जरिये इन्तकाल स. 606 दिनांक 18/5/18 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार के हिस्सा में आई है। इसमें प्रति स. 1 ओमप्रकाश का कोई हक व हिस्सा नही है। हम इसी प्रकार मौका पर काबिज है। व इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में उक्त भुमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है।उक्त आराजी में प्रति स. 3 व 5–6 का कोई हक व हिस्सा नही है। वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 मौका पर दावा की दफा 4 के अनुसार ही काबिज है। इसमें प्रति स. 3–5 व 6 का कोई हक व हिस्सा नही है। क्योकि इन्होने अपना हक वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 के हक में परित्याग कर दिया है। अतः उक्त आराजी का उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4 व 5 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 व 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं। प्रतिस. 8 व 9 को लैण्ड होलडर हेाने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।व प्रति स. 7 के पास आराजी रहन होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।इनके प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद वादीगण बाबत ईस्तकरार हक है जो कि 2/–रूपए के न्याय शुल्क पर पेश है समायत अदालत हाजा है तथा अन्दर मियाद हैं। लिहाजा वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री जारी फरमाई जावे कि चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 4/4 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2068–71 की कुल 6.578 है0 आराजी में 2.277 है0 आरजी का हक वादी स. 1 धर्मवीर का व 2.277है0 आराजी का हक प्रति स. 4 सन्दीप का व 1.316है0 का हक प्रति स. 1 ओमप्रकाश का व 0.708है0 आराजी का हक प्रति स. 2 राजेन्द्र कुंमार का है व चक 18 एम.एम.के खाता स.9/5 खाता ओमप्रकाश वगैरा की कुल 5.060 है0 आराजी मे 3.795 है0 आराजी का हक वादी स 2 मुकेश का व 0.506 है. आराजी का हक प्रति स. 1 ओमप्रकाश का व 0.759 है. आराजी. का हक प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार का है व चक 18 एम.एम.के. खाता स. 55/5 में इन्तकाल स. 606 दिनांक 18/5/18 द्वारा प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार की है। इसमें प्रति स. 1 ओम प्रकाश का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त आराजी का उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 के नाम दर्ज की जावे। उक्त आराजी में प्रति स. 3 व 5–6 का कोई हक व हिस्सा नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन बाद तामिल उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से स्टेट जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य में वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये। फार्म नं. 3 के साथ वारिसान तस्दीक की फोटो प्रति, पैतृक सम्पति साक्ष्य में पर्चा खतौनी चक नं. 20 एमजेडी सोहनलाल वल्द मलूराम के नाम की व चक 18 एमएमके सोहनलाल वल्द मलू एवं जमाबन्दी चार साला खतोनी मोजा धोलीपाल सम्वत 2001 सोहन लाल वल्द मलू तथा नामान्तरण संख्या 58/71 मलू के नाम का जो सोहनलाल के नाम से विरास्तन दर्ज की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण हमारा इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पैतृक सम्पति साक्ष्य में पर्चा खतौनी चक नं. 20 एमजेडी सोहनलाल वल्द मलूराम के नाम की व चक 18 एमएमके सोहनलाल वल्द मलू एवं जमाबन्दी चार साला खतोनी मोजा धोलीपाल सम्वत 2001 सोहन लाल वल्द मलू तथा नामान्तरण संख्या 58/71 मलू के नाम का जो

सोहनलाल के नाम से विरासतन दर्ज की प्रमाणित प्रतियों के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादीगण द्वारा वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 6 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक सोहनलाल पुत्र मलूराम के वारिसान है। चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 4/4 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज. स. 2068–71 में प्रति स. 1 व 2 के नाम कुल 6.578 है0 आराजी ब.हि. ब. के हिसाब से दर्ज है। एवं चक 18 एम.एम.के. खाता स. 9/5 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2073–76 में कुल 5.060 है0 आराजी ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज है। एवं चक 18 एम.एम.के. खाता स. 55/5 में इन्तकाल स. 606 दिनांक 18/5/18 खाता ओमप्रकाश वगैरा में कुल 1.265 है0 आराजी प्रति स. 1 व 2 के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज है जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य में पर्चा खतौनी चक नं. 20 एमजेडी सोहनलाल वल्द मलूराम के नाम की व चक 18 एमएमके सोहनलाल वल्द मलू एवं जमाबन्दी चार साला खतोनी मोजा धोलीपाल सम्वत 2001 सोहन लाल वल्द मलू तथा नामान्तरण संख्या 58/71 मलू के नाम का जो सोहनलाल के नाम से विरास्तन दर्ज की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किये जा चुके है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 4/4 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2068–71 की कुल 6.578 है0 आराजी में 2.277 है0 आरजी का हक वादी स. 1 धर्मवीर को व 2.277है0 आराजी का हक प्रति स. 4 सन्दीप को व 1.316है0 का हक प्रति स. 1 ओमप्रकाश को व 0.708 है0 आराजी का हक प्रति स. 2 राजेन्द्र कुंमार को व चक 18 एम.एम.के खाता स.9/5 खाता ओमप्रकाश वगैरा की कुल 5.060 है0 आराजी मे 3.795 है0 आराजी का हक वादी स 2 मुकेश को व 0.506 है. आराजी का हक प्रति स. 1 ओमप्रकाश को व 0.759 है. आराजी. का हक प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार का है व चक 18 एम.एम.के. खाता स. 55/5 में इन्तकाल स. 606 दिनांक 18/5/18 द्वारा प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार की है। इसमें प्रति स. 1 ओम प्रकाश का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त आराजी का उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खाता में से उक्तुनसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलम से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–122/2019

1. धर्मवीर पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश } पि. सोहनलाल जाति जाट सा. धौलीपाल
2. राजेन्द्र कुंमार } तह. व जिला हनुमानगढ
3. विमला पत्नि ओमप्रकाश
4. सन्दीप पुत्र ओमप्रकाश
5. राजवन्ती पत्नि राजेन्द्र कुंमार
6. दया पुत्री राजेन्द्र कुमार
7. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया
9. तहसीलदारा राजस्व हनुमानगढ तह. व जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कैलाश सिंवल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 20 एम.जे.डी. खाता स. 4/4 खाता ओमप्रकाश वगैरा ज.स. 2068–71 की कुल 6.578 है0 आराजी में 2.277 है0 आरजी का हक वादी स. 1 धर्मवीर को व 2.277है0 आराजी का हक प्रति स. 4 सन्दीप को व 1.316है0 का हक प्रति स. 1 ओमप्रकाश को व 0.708 है0 आराजी का हक प्रति स. 2 राजेन्द्र कुंमार को व चक 18 एम.एम.के खाता स.9/5 खाता ओमप्रकाश वगैरा की कुल 5.060 है0 आराजी मे 3.795 है0 आराजी का हक वादी स 2 मुकेश को व 0.506 है. आराजी का हक प्रति स. 1 ओमप्रकाश को व 0.759 है. आराजी. का हक प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार का है व चक 18 एम.एम.के. खाता स. 55/5 में इन्तकाल स. 606 दिनांक 18/5/18 द्वारा प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज कुल 1.265 है0 आराजी प्रति स. 2 राजेन्द्र कुमार की है। इसमें प्रति स. 1 ओम प्रकाश का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त आराजी का उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1–2 व 4 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खाता में से उक्तुनसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज्.....निल्.....मुब्लिक्.....निल्.....बाबत्.....निल्.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक्.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया